शीर्षकः– जनपद एटा में एटा–शिकोहाबाद राजमार्ग संख्या 85 कि0मी0 चैनेज 3.1325 की दॉयी पटरी पर स्थित ग्राम निधौली खुर्द के खसरा सं0 999स पर एस्सार ऑयल लि0 द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग (आगम एवं निर्गम) के निर्माण हेतु 0.075028 है. संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु।
प्रपोजल संख्या– एफ0पी0 / यू0पी0 / अन्य / 13100 / 2015

मानक शर्तें

(वनअनुभाग–3 उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या 7314 / 14.03.1980 / 82 दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तांतरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा व पूर्व की भॉति रक्षित / आरक्षित वनभूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मॉगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त है, वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरी विभाग व उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वनभूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहॅचायेंगे और किये जाने पर सम्बंधित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को कराना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बंधित जिलाधिकारी की देखरेख में करायेगा तथा इस सम्बंध में नये पुराने आदि की देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा संभव प्रस्तावित न किया गया, केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा, परन्तु प्रतिबंध यह होगा कि वन सम्पदा की पूर्ण एवं वन जन्तुओं के स्वच्छंद विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद की भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन की नर्सरियों / पौधों के एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निशुल्क सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. वन विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकार के लिये, का भुगतान किये वन विभाग को वापिस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (ऑटोमैटिक) स्वतः बिना किसी प्रतिकार का भुगतान किये गये विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।
11. सडक निर्माण में प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्टाप पर वन विभाग का परामर्श उ.प्र. जल निगम द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बंध में प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पर्वतीय क्षेत्र, पौडी को सम्बोधित पत्र संख्या 608सी दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी लोकनिर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा कि अश्रु मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का मामूली फेरबदल पक्का करना होगा बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सडक का निर्माण भी आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बंधी प्रमाणपत्र के आधार पर आंकलित होगा जो विभाग को मान्य होगा।
13. इस भूमि पर खडे वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उचित समझे, द्वारा किया जायेगा, यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव न हो सके और उनका पतन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तानान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों को प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तानान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दो पेडो का रोपण तथा 3 वर्षों तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। किसी प्रकरण बीज के पेड़ो पर पातन भी वर्जित है ऐसे वृक्षों का पातन का वन संरक्षण स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में पेड़ो का कटान नहीं किया जायेगा या खंभों को ऊँचा करके उसे सुनिश्चित किया जायेगा, यदि फिर भी पेड़ो का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेडो की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बंधित उपवन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी जिस पर सम्बंधित वन संरक्षक अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–रक्षण की संभावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करेगा।
17. डपलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि एस्सार ऑयल लि0, नोएडा, द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशेष प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगायी जाती है तो वे याचक को मान्य होंगी।
18. वन विभाग का वास्तविक हस्तानान्तरण तभी किया जाये जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से अश्वासन प्राप्त हो जाये।

मैं एस्सार ऑयल लि0 का प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि एस्सार ऑयल लि0 नोएडा को उपरोक्त उल्लेखित सभी शर्तें मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

दिनांक - 06/05/2017

FOR ESSAR OIL LTD.

प्रस्तावक की ओर से
(NITIN JAISWAL)
TERRITORY SALES MANAGER

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 प्रभाग, एटा

FOR ESSAR OIL LTD.
(NITIN JAISWAL)
TERRITORY SALES MANAGER

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, एवं भारत सरकार का पत्रांक–11–268/2014 एफ0सी0 दिनांक 11.07.2014 की बिन्दुवार आख्याः–

प्रमाणित किया जाता है कि एस्सार ऑयल लि0 द्वारा एटा– शिकोहाबाद राजमार्ग सं0 85 कि0मी0 चैनेज 3.1325 की दॉयी पटरी पर स्थित ग्राम निधौली खुर्द के खसरा सं0 999स पर एस्सार ऑयल लि0 द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग (आगम एवं निर्गम) निर्माण हेतु 0.075028 है0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग की अनुमति हेतु पेट्रोल/डीजल पम्प के प्रवेश एवं निकास मार्ग एवं उसके मध्य का क्षेत्रफल 0.075028 है0 है जो लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रॉसपोर्ट एवं हाईवे के अनुरूप है तथा यह रोड लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन है। अतः इस पर लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मानक ही लागू होंगे जो मान्य हैं।

1. प्रस्तावित पेट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) एटा–शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच0–85) कि0मी0 3.1325 से दॉयी पटरी पर स्थित ग्राम निधौली खुर्द के गाटा सं0 999स तहसील व जिला एटा में प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल पर किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
2. प्रस्तावित पेट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) पर पार्किंग, शौचालय का निर्माण प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित पेट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) पर रेस्टोरेंट, दुकान आदि का प्रावधान नहीं किया गया है।
3. प्रस्तावित बिन्दु 3 लागू नहीं होता है।
4. साइन बोर्ड स्थापित करते समय पटरी वृक्षारोपण को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुॅचाई जायेगी।
5. एस्सार ऑयल लि0 द्वारा पेट्रोल पम्प की दीवार से 1 से 1.5 मी0 के मध्य वृक्षारोपण किया जायेगा।
6. एस्सार ऑयल लि0 द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।

दिनांक - 06/05/2017

एस्सार ऑयल लि0
ए–5, सेक्टर–3, नोएडा।
(NITIN JAISWAL)
TERRITORY SALES MANAGER

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 प्रभाग, एटा